अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अं0 धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम शिश्यू प0ह0 शिश्यू तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के वादग्रस्त आराजी ख0नं0 2648, 2650 कुल किता 2 कुल रकबा 2.0300 है0 एंव ख0नं0 2687 रकबा 4.5300 है0 के रिकॉर्ड के साथ–साथ मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6.10.25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

6/10/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्वआदेशानुसार दिनांक 11/12/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

11/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अ0। वकील प्रार्थी ने आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की मार्फत ये समझौता हो गया है। इसलिए प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही होना चाहते है। वकील प्रार्थी के आवेदन पर हस्ताक्षर कराये गये। अतः वकील प्रार्थी के अनुरोध पर आवेदन पत्र अं0 धारा 151 सि0 प्र0 प्रार्थी नोट पत्र में दाखिल किया जाता है। पत्रावली में मध्य समझौता की कार्यवाही अंकित अमल होकर निर्णय अंकित दिनांक 11/12/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नोट पेश की स्वीकृत करने पर को डिक्री नहीं है।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर